दिल्ली जल बोर्ड, राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत, प्रथम अपीलिय अधिकारी का कार्यालय
कमरा नम्बर–401, वरूणालय खण्ड–द्वितीय,
करोल बाग, नई दिल्ली–110005

सं॰ दि॰ ज॰ बो॰/एफ॰ ए॰ ए॰–आर॰टी॰ आई॰/अपील/ 4642 दिनांक 28-4-14

श्री जगदीश राय...................... अपीलकर्ता

बनाम

जन सूचना अधिकारी (सतर्कता).................... प्रतिवादी

आदेश

विषय ः– श्री जगदीश राय निवासी, रमेश मार्केट गढ़ी, दसघरा मोहल्ला, नई दिल्ली–110065
(पावती संख्या– 6652 दिनांक 17–02–2014) द्वारा अपील।

श्री जगदीश राय, अपीलकर्ता ने श्री विनीत कुमार, जन सूचना अधिकारी (सतर्कता) के पत्र संख्या दि॰ ज॰ बो॰/सतर्कता/2240/6652/3042 दिनांक 10–03–2014 द्वारा सूचना का अधिकार के अर्न्तगत दी गई सूचना के विरूद्ध अपील दायर की है।।

श्री जगदीश राय, अपीलकर्ता की और से कोई उपस्थित नहीं था एवं श्री विनीत कुमार, जन सूचना अधिकारी उपस्थित थे।

अपीलकर्ता ने अपनी अपील में यह कहा है कि वह जन सूचना अधिकारी द्वारा दी गई सूचना से संतुष्ट नहीं है।जन सूचना अधिकारी ने कहा कि प्रश्न संख्या 9, 12, 13 और 15 सतर्कता विभाग से सम्बन्धित है।जन सूचना अधिकारी ने बताया कि इन प्रश्न संख्या से सम्बन्धित सूचना, सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8(1) एच के अनुसार इस

EXECUTIVE ENGINEER (EDP)
DIARY No. 1411
DATE 28/4/14

अवस्था में देना संभव नहीं है। उन्होने कहा कि अन्य प्रश्न सतर्कता विभाग से सम्बन्धित नहीं है। इसलिए अपीलकर्ता सम्बन्धित प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील कर सकता है।

मैंने जन सूचना अधिकारी को सुना एवं अपीलकर्ता की अपील से सम्बन्धित प्रस्तुत किए गए रिकार्ड को देखा। मेरे विचार से जन सूचना अधिकारी ने सही कहा है कि सूचना अधिकार अधिनियम, **2005** की धारा **8(1)** एच के अन्तर्गत सूचना प्रदान नहीं की जा सकती है क्योंकि अभी मामले की जांच हो रही है।

प्रथम अपीलीय अधिकारी

प्रतिलिपि ः-

(1) श्री जगदीश राय, **156/1**, रमेश मार्केट गढ़ी, दसघरा मोहल्ला, नई दिल्ली-**110065**

(2) विनीत कुमार, जन सूचना अधिकारी (सतर्कता)

(3) अधिशासी अभियन्ता (ई॰ डी॰पी॰) आदेश को दिल्ली जल की वेबसाईड पर अपलोड करें।

प्रथम अपीलीय अधिकारी

Sanjay
29/4